

जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

रतन बनाम 394

मु. सं. 93/18


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दिनांक 04-09-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौला)